

न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार
अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना, पिनकोड़-800015
दूरभाष सं0-0612-2215041, 2215152, email - scdisability2008@gmail.com

पत्रांक-1542/आठनिःशक्तता

दिनांक-21/12/2020

आदेश

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं0-35/2019

सुश्री रश्मि तिवारी, सहायक, राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय, पटना। वादी

बनाम

अपर सचिव (स्थापना), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना। प्रतिवादी

प्रकरण में:- सुश्री रश्मि तिवारी, सहायक, राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय द्वारा अपनी राजस्व पदाधिकारी के रूप में कार्यरत अवधि की सेवापुस्त खुलवाने तथा उस पद पर (अर्थात् राजस्व अधिकारी) नियुक्ति एवं पदस्थापन के विरुद्ध वेतनादि के भुगतान सम्बन्धी परिवाद पत्र।

वादी अनुपस्थित हैं। प्रतिवादी उपस्थित हैं।

प्रतिवादी द्वारा समर्पित किया गया। वादी के वेतन आदि का भुगतान कर दिया गया है। उक्त क्रम में वाद का संचालन न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है, वाद को निष्पादित किया जाता है।


आदेश की प्रति सम्बन्धित पक्षकारों को निर्गत करें।


(डॉ० शिवाजी कुमार),
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-वाद सं0-35/2019.1542/आठनिःशक्तता

दिनांक-21/12/2020


प्रतिलिपि:- अपर सचिव (स्थापना), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-वाद सं0-35/2019.1542/आठनिःशक्तता

दिनांक-21/12/2020

प्रतिलिपि:- सुश्री रश्मि तिवारी, सहायक, राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय, पटना। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

